

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र / 5 / 2016

जयपुर, दिनांक: 22-4-16

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक	राजकीय आवास संख्या
1.	सुनीता पंवार, लेखाधिकारी, निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर	6600/-	10/2015	31.12.2037	ए-1-5, बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
2.	हरीश लड्डा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	6600/-	12/2015	31.05.2038	बी-1-18 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
3.	श्री सत्यनारायण, संयुक्त निदेशक, उद्यान (कीट) उद्यान निदेशालय, जयपुर	7600/-	72/2014	30.06.2025	एच-87 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
4.	डॉ धारा महेन्द्र, सहायक प्रोफेसर, गणगौरी बाजार अस्पताल, जयपुर	6600/-	09/2015	30.04.2043	बी-1-19 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
5.	मीसाराम प्रजापत, संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,	7200/-	11/2015	31.11.2022	एफ-11-70 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
6.	डॉ. राधागोविन्द खण्डेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6600/-	40/2015	30.09.2038	जी-11-82 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
7.	डॉ. विष्णु कुमार पंसारी, सहायक आचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6600/-	48/2015	31.12.2037	एच-86 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
8.	डॉ. जिज्ञासा शहानी, सहायक आचार्य, एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6600/-	54/2015	31.07.2039	एच-88 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
9.	डा० दिनेश कुमार भारती, सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी विभाग, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर	6600/-	61/2015	31.05.2040	एच-1-89 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
10.	श्री सोहन लाल सालवी, अति०मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, ड्रिलिंग क्षेत्र, जयपुर।	8700/-	66/2015	31.12.2021	एच-1-91 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,
11.	डॉ० सुनीता जैन, कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरकत नगर, जयपुर	6600/-	13/2016	2026	एच-1-92 बजाजनगर अपार्टमेन्ट,

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।

3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

हो

(अनिल कुमार गुप्ता)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विधुत वृत्त) जयपुर।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल।
10. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
12. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
13. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, साप्रवि।
14. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
15. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें।
16. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव